हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांकः हि०शि०बो०संवद्धता(38)/2020/ 106652-106700 दिनांकः 09-09-2020

"अधिसूचना"

अधिसूचित किया जाता है कि सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9th से +2 की नवीनीकरण संवद्धता (Renewal Affiliation)/ कक्षा स्तरोन्नत (Up-gradation) एवं नई संवद्धता (fresh Affiliation) प्राप्त करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा निम्न प्रकिया अमल में लाई जानी है।

क्रमांक	संवद्धता प्रकिया	मास/तिथि
1.	वोर्ड कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों (तीन हिन्दी एंव तीन अंग्रेजी) के माध्यम से संवद्धता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र मंगवाये जाने वारे समाचार प्रकाशित किये जायेंगे।	मास सितम्वर, 2020
2.	निजि शिक्षण संस्थानों को अपने संवद्धता आवेदन वोर्ड कार्यालय में जमा करवाने होंगे।	31 अक्तूवर, 2020 तक
3.	वोर्ड कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों पर संस्थानों का निरीक्षण करवाया जायेगा।	30 नवम्वर, 2020 तक
4.	संस्थानों को प्राप्त आवेदनों/निरीक्षण पर पाई गई कमियों को वोर्ड कार्यालय द्वारा संस्थानों को सूचित किया जायेगा।	15 दिसम्वर, 2020 तक
5.	संस्थानों द्वारा कमियों की पूर्ति की जायेगी।	30 दिसम्वर, 2020 तक
6.	वोर्ड कार्यालय द्वारा संस्थानों के आवेदनों पर लिये गये निर्णय वारे सूचित किया जायेगा।	31 जनवरी, 2021 तक

संवद्धता हेतु सभी आवेदन करने वाले संस्थानों को संवद्धता आवेदन Online करने के पश्चात आवेदन पत्र अन्य दस्तावेजों के साथ डाक के माध्यम से भेजने आवश्यक होगें। Online आवेदन करने की तिथि 1st अक्तूवर, 2020 से 25th अक्तूवर, 2020 तथा संवद्धता आवेदन फार्म को पूरा भरकर Hard Copy, संवद्धता हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित Off-line कार्यालय में जमा करवाने की तिथि 31-10-2020 निर्धारित की गई है। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। संवद्धता शुल्क सभी आवेदनकर्ता संस्थानों द्वारा Online Payment Gateway के माध्यम से जमा करवाया जाना है। संवद्धता से संवन्धित समस्त जानकारी विवरण पुस्तिका (Prospectus) में वोर्ड की वेवसाईट www.hpbose.org. पर उपलब्ध है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा वोर्ड द्वारा कक्षा 9th-12th तक की संवद्धता प्रदान की जाएगी। कक्षा 1-8 तक निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षा विभाग द्वारा RTE Act 2009 के अन्तर्गत मान्यता (Recognition) प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अतः वोर्ड कार्यालय द्वारा केवल कक्षा 9th से 12th तक की संवद्धता हेतु भेजे जाने वाले आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा।

निजी शिक्षण संस्थानों को सत्र 2021-22 की संवद्धता हेतु Online आवेदन करना आवश्यक है। संवद्धता रेगुलेशन एवं आवेदन पत्र गत वर्ष की भान्ति केवल वोर्ड वेवसाईट पर पर ही उपलब्ध होगा। इच्छुक संस्थान इसे स्वयं दिनॉक 1st अक्तूवर, 2020 से download करके, इसमें मॉगी गई समस्त जानकारी भरकर वोर्ड कार्यालय को Online करने के पश्चात भेज सकते हैं। संवद्धता प्राप्ति से पूर्व कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि और उसकी भरपाई का वह स्वंय उत्तरदायी होगा।

अतः निजी शिक्षण संस्थान संवद्धता वारे आवेदन करने से पूर्व विस्तृत जानकारी हेतु Affiliation Rules and Regulations(Prospectus) का गहन अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि कौन-कौन से दस्तावेजों को संवद्धता आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है उस वारे सही जानकारी मिल सके। सभी संस्थानों को अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ-साथ नवीनतम Fire Safety Certificate from Chief Fire Officer Shimla, Building Safety Certificate from Executive Engineer PWD Concerned एवं शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

-Sd-
अक्षय सूद (हि०प्र०से०)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि।
दिनांकः 09-09-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरि० निजि सचिव/निजि सहायक (अध्यक्ष/सचिव) हि० प्र० स्कूल शिक्षा वोर्ड।
2. समस्त सहायक सचिव/अनुभाग अधिकारी, हि० प्र० स्कूल शिक्षा वोर्ड।
3. समस्त जिला प्रवन्धक, पुस्तक वितरण, सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, हि० प्र० स्कूल शिक्षा वोर्ड।
4. अनुभाग अधिकारी (IT Cell) हि० प्र० स्कूल शिक्षा वोर्ड को website पर upload करने हेतु।
5. लोक सम्पर्क अधिकारी, स्कूल शिक्षा वोर्ड को इन निर्देशों के साथ प्रेषित है कि वह इस अधिसूचना को तीन हिन्दी व तीन अंग्रेजी के समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित करें।

अक्षय सूद (हि०प्र०से०)
सचिव

Scanned by CamScanner